

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

8 MAR 2016

क्रमांक-प. 10(8)आयु./2015 पार्ट 4

जयपुर दिनांक :

::-आदेश-::

श्री रमेश चन्द सुमन को विज्ञप्ति संख्या 1/2013 में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर दिनांक 22.09.2015 द्वारा चयन कर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2015 द्वारा राजकीय आयुर्वेद औष. कडैयाहाट जिला-बारा में नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे किन्तु माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उक्त आदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2015 स्थगित कर दिया गया था।

कार्मिक विभाग की राय के अनुसार श्री रमेश चन्द सुमन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 65/99 धारा 324, 504 में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिपा बड़ोद जिला-बारा में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 1124/2002 के निर्णय के अध्यक्षीन नियुक्ति मानते हुये समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2015 को निरस्त करते हुये राजकीय आयुर्वेद औषधालय बड़ौरा (बारा) में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर दिनांक 15.03.2016 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये जाते हैं।

(सेवा राम स्वामी)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
4. संबंधित आयुर्वेद चिकित्सक-मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश वर्मा)  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

क्रमांक: प.1(प्रति.1)आयु.चिकि.नियु/वि.सं.1.13/2015/ 52160-64 दिनांक: 09.03.2016  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं राज्य-सरकार के आदेशों की पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर
2. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, कोटा
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारा
4. संबंधित अभ्यर्थी - द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारा
5. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ एवं संबंधित कार्यालयों को जरिये ईमेल भिजवाने हेतु।
6. सामान्य पत्रावली।

(बृजेश मुदगल)  
उपनिदेशक